<u>अति तत्काल</u>

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी0 एण्ड सी0
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 20 जनवरी, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जनवरी, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

20/2/2020

(सुनील कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 2338 1233

<u>प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-</u>

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उपराष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के जनवरी, 2020 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

1.1 माह के दौरान, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केंद्रीय बफर से आयातित प्याज एवं दाल की खुदरा बिक्री और उससे संबंधित मामलों में मांग की पुनरीक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ तीन वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गईं। प्याज की मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु उपयुक्त उपाय करने और प्याज के संबंध में राज्यों से उनकी आवश्यकताओं की पुष्टि करने का अनुरोध करते हुए, माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा सचिव (उपभोक्ता मामले) द्वारा राज्यों को पत्र भी भेजे गए।

1.2 माह के दौरान 36,124 मीट्रिक टन प्याज की कुल आयातित आवक में से दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड आदि को प्रेषण किया गया। मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार और नेफेड को कीमतों में नरमी लाने के लिए आयातित प्याज की खुदरा बिक्री की सलाह दी गई।

1.3 दिनांक 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार, राज्यो को उनकी मांग के आधार पर आपूर्ति के जरिए तथा नीलामी के माध्यम से 3791.7 मीट्रिक टन आयातित प्याज का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, 6669 मीट्रिक टन प्याज का निपटान प्रक्रियाधीन है।

1.4 जनवरी माह के दौरान, पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक के प्रबंधन के संबंध में दो साप्ताहिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

1.5 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की पुनरीक्षा के लिए माह के दौरान अंतरमंत्रालयीय समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

1.6 सचिवों की समिति की दिनांक 7 जनवरी, 2020 की बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार, सफल, केंद्रीय भंडार, राज्य एजेंसियों के माध्यम से आयातित प्याज की आपूर्ति इन एजेंसियों की इच्छा और उठान क्षमता के अनुसार की गई। पत्तन से राज्य तक परिवहन लागत को पीएसएफ से वहन करने के संबंध में अननुमोदन प्राप्त कर लिया गया और राज्यों से संशोधित शर्तों पर प्याज का उठान करने का आग्रह किया गया। राज्यों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह अनुरोध भी किया गया कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। मा0 मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष महोदय को स्थिति से अवगत कराया गया।

2. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ):

2.1 सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) ने दिनांक 13.01.2020 को आयोजित अपनी बैठक में मनोज कुमार सेमवाल, आईआरएसईई (1992) को प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के अनुमोदन से, सीएसबी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और श्री मनोज कुमार सेमवाल को प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ के रूप में नियुक्त करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संप्रेषित किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का निर्णय प्रतीक्षित है।

2.2 श्री कमल चौधरी तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एन.सी.सी.एफ. ने निलम्बन और आरोप-पत्र को निरस्त करने और उनके मूल विभाग में भेजने के लिए दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को माननीय कैट (CAT) में एक ओए दायर किया। श्री चौधरी के निलंबन को वापिस लेने और उनके मूल विभाग में भेजने के अनुरोध पर समिति द्वारा विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें सौंपी गई। परिणामस्वरूप, श्री चौधरी के निलंबन को दिनांक 05.11.2019 से वापिस ले लिया गया और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से श्री कमल चौधरी, आईडीएएस के उनके मूल विभाग में समयावधि से पहले वापिसी के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 25.11.2019 को माननीय केंद्रीय अपीलीय अधिकरण (कैट) ने प्रतिवादी को यह निदेश देते हुए मामले को खारिज कर दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर आवेदक की समय से पहले मूल विभाग में वापिसी से संबंध मुद्दों का समाधान करें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 27.12.2019 के आदेश के तहत श्री चौधरी को उनके मूल संवर्ग अर्थात् सीजीडीए में वापिसी के मामले को अनुमोदन दे दिया। परिणामस्वरूप, विभाग ने दिनांक 20.01.2020 के आदेश के तहत श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से उनके मूल संवर्ग में रिपोर्ट करने का निदेश देते हुए कार्यभार मुक्त कर दिया।

3. <u>भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-</u>

3.1 देश में दिनांक 15-01-2021 से स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाते हुए दिनांक 15.01.2020 के का.आ. संख्या 205 (अ) के तहत स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसके कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।

3.2 दिनांक 16 - 17 जनवरी, 2020 के दौरान इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार तथा जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनॉमिक अफेयर्स एंड एनर्जी के साथ गुणवत्ता अवसंरचना के संबंध में इंडो-जर्मन कार्यकारी समूह की 7वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अंत दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2020 में कार्यान्वित की जाने वाली कार्य योजना पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। इस कार्य योजना पर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग और महानिदेशक, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनॉमिक अफेयर्स एंड एनर्जी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

3.3 1 जनवरी, 2020 से वर्ष 2020-22 के लिए आईएसओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) में बीआईएस (भारत) सदस्यता का आरम्भ हो गया है। आईएसओ-टीएमबी विभिन्न तकनीकी समितियों की स्थापना करने, टीसी पीठें नियुक्त करने और तकनीकी कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह ऐसे निर्देशों के लिए भी उत्तरदायी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए अनिवार्य सिद्धांत हैं, और यह कार्यनीतिक आयोजना, समन्वय, निष्पादन और तकनीकी समिति की गतिविधियों की निगरानी से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन भी करता है।

3.4 बीआईएस के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित प्रयोगशाला ने आईएस 14543:2016 के अनुसार पीडीडब्ल्यू और आईएस 13428:2005 के अनुसार पीएनएमडब्ल्यू के लिए माइक्रोबॉयोलॉजिकल पैरामीटर हेतु सम्पूर्ण परीक्षण सुविधाओं का सृजन कर लिया है।

4. **मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	**सूचकांक**	**मुद्रास्फीति दर (%)**		
		दिसम्बर, 2019 (अनन्तिम)	**नवंबर, 2019 (अनन्तिम)**	**दिसम्बर, 2018 (अंतिम)**
1	थोक मूल्य सूचकांक # **(वार्षिक)**	2.59	0.58	3.46
2	थोक मूल्य सूचकांक # (**खाद्य वस्तुएं)**	13.24	11.08	-0.42
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	9.63	8.61	5.24
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) **(संयुक्त)***	5.54	4.62	2.33
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	10.01	7.89	-2.61

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

5. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य दिसम्बर, 2019 माह की तुलना में जनवरी, 2020 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्रक-I** में दिए गए हैं।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य दिसम्बर, 2019 की तुलना में जनवरी, 2020 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें (रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	जनवरी, 2020 (अद्यतन)	दिसम्बर, 2019 (विगत माह)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	34	33	1
2	गेहूं	29	28	1
3	आटा	30	30	0
4	चना दाल	66	67	-1
5	तूर दाल	88	88	0
6	उड़द दाल	99	96	3
7	मूंग दाल	93	90	3
8	मसूर दाल	67	65	2
9	चीनी	39	39	0
10	दूध (प्रति लीटर)	45	45	0
11	मूंगफली का तेल	137	136	1
12	सरसों का तेल	117	114	3
13	वनस्पति	87	83	4
14	सोया तेल	98	94	4
15	सूरजमुखी का तेल	106	102	4
16	पाम ऑयल	89	82	7
17	गुड़	46	46	0
18	खुली चाय	218	217	1
19	पैकबंद नमक	16	16	0
20	आलू	27	25	2
21	प्याज़	64	95	-31
22	टमाटर	26	29	-3

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापित नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. **ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति**

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
238	**197**

6. **लोक शिकायतों की स्थिति** :

जनवरी, 2020 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**जनवरी, 2020** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
1232	**407**

7 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

जनवरी, 2020 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकिटों की कुल संख्या	**जनवरी, 2020** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकिटों की संख्या
60,029	**44,000**

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 114 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****